न सुआह		
आदेश : कार्रवाई के की टिप्पणी तार्क		आदेश पर की गई
और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	न्यायालय:- भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, श्री बंशीधर नगर।	
19.5.2023	विविध अपील वाद सं0 06/2014-15	
	शामदेव महतोअपीलार्थी।	
, d	वनाम्	
	सीता राम बैठा वगैरह प्रत्यथी।	
	<u>आदेश</u> अभिलेख अन्तिम निस्तारण हेतु उपस्थापित। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के	
	द्वारा राजस्व ग्राम पाचाडुमर के खाता सं० 165 प्लॉट सं० 1706 रकवा 11.81	
	एकड़ भूमि में से रकबा 3.00 एकड़ भूमि पर आवेदक का दखल कब्जा है	
	जिसे विपक्षी अपने नाम पर दिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के दिना मांग	
	कायम करा लिया है जिसे रद्द करने हेतु अनुरोध किया गया है। संबंधित	
	पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया तथा अंचल अधिकारी, केतार से जॉच	
	प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, केतार से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त	
	हुआ है। उभय के विज्ञ अधिवक्ता को सुना।	
	अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि:- 01 ग्राम पाचाडुमर	
	थाना व अंचल भवनाथपुर के खाता सं0 165 प्लॉट सं0 1706 रकवा 8.81	
	एकड तथा अन्य प्लॉट की भूमि रकबा 3.00 एकड़ कुल रकबा 11.81 एकड़	
	भूमि की जमाबंदी विपक्षी सीता राम बैठा वगैरह के पूर्वज रामधनी राम,	
	रामचरित्र राम, लक्ष्मण बैठा पेशरान पदारथ बैठा के नाम से मांगपंजी 2 के	
	पेज न0 30/1 पर कायम है।	
	02 जमुना बैठा वगैरह ने ग्राम पाचाडुमर के खाता नं0 165 प्लॉट नं0	
	1706 रकवा 8.81 एकड़ भूमि के सीमांकन हेतु विद्वान अंचल अधिकारी भवनाथपुर के समक्ष आवेदन दिया जिसपर एक सीमांकन वाद सं0	
	27/2013-14 खुला। उक्त वाद में प्लॉट नं0 1706 रकबा 8.81 एकड भूमि	
	का सीमांकन किया गया जिसमें रकवा 5.81 एकड भूमि पर जमुना बैटा	
	वगैरह का दखल कब्जा पाया गया तथा रकवा 3.00 एकड़ भूमि पर शामदेव	
	महतो आवेदक का दखल कब्जा पाया गया।	
	03 सीमांकन वाद सं0 27/2013-14 में हल्का कर्मचारी ने यह प्रतिवेदन	
	दिया है कि मांगपंजी 2 के पेज नं0 30/1 पर जो जमाबंदी रामधनी राम	
	वगैरह के नाम से कायम है उसकी जमाबंदी कायम करने का कोई आधार	-
	नहीं है। 04 ग्राम पाचाडुमर के मांगपंजी 2 के पेज नं0 30/1 पर जो जमाबंदी	
	रामधनी राम व रामदेनी बैठा वगैरह के नाम से कायम है। उसे तत्काल	
	रिमधना राम व रामदना वर्ण वर्गरे के नाम रा कर्म है।	

खारिज किया जाना न्यायहित में उचित है।

मा संख्या सारीख

	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
आदेश की क्रम संख्या	आदेश और पदाावया
और तारीख	2

5

١

2

05 विपक्षीगण ने हल्का कर्मचारी वगैरह को मेल में लाकर बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के ग्राम पाचाडुमर के मांगपंजी 2के पेज नं0 30/1 पर रक्कबा 11.81 एकड़ भूमि का जमाबंदी कायम करा लिए है जिसे तत्काल स्थिगत करते हुए उसकी छान–बीन कर उक्त जमाबंदी को रद्द करने हेतु सक्षम पदाधिकारी के समक्ष अनुशंसा के साथ अभिलेख भेजना न्यायोचित है। अतः आवेदक के द्वारा प्रश्नगत भूमि के जमाबंदी को स्थिगत

करते हुए प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी विपक्षीगण के पूर्वज के नाम से ग्राम पाचाडुमर के मांगपंजी 2 के पेज नं0 30/1 पर कायम है उसे रद्द करने हेतु सक्षम अधिकारी के पास अभिलेख भेजने की कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया है। आवेदक के द्वारा दाखिल कागजात निम्न प्रकार है।

01 सीमांकन वाद सं0 27/2013-14 का छायाप्रति 10 फर्द

अंचल अधिकारी, केतार के द्वारा पत्रांक 99 दिनांक 25.10.2016 से प्रतिवेदित किया गया है कि "ग्राम पाचाडुमर के खाता सं0 165 प्लॉट सं0 1706 रकबा 3.50 एकड़ भूमि का जमाबंदी विविध वाद सं0 12/2005-06 उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार नगर उंटारी के आदेशानुसार कायम किया गया है जिसे अनुमण्डल पदाधिकारी नगर उंटारी के पत्रांक 38/रा0, दिनांक 19.02. 2013 के आलोक में सामदेव महतो पिता स्व0 दाशा महतो खाता सं0 165 प्लॉट सं0 1706 रकबा 3.50 एकड़ भूमि का जमाबंदी पर रोक लगा दी गई है, जमाबंदी संदेहात्मक प्रतित होता है जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। मौजा पाचाडुमर खाता सं० 165 प्लॉट सं० 1706 रकवा 8.81 प्लॉट सं0 1697 रकबा 2.40 एकड़ भूमि का डिमाण्ड वर्ष 1974–75 से पूर्व से चलते आ रहा है खाता सं0 165 वो 90 प्लॉट सं0 1694, 1695, 1692, 1697, 1706 कुल रकबा 4.82 एकड़ का डिमाण्ड रामचरिचर बैठा वगैरह के नाम से वर्ष 1974–75 से पूर्व से चलते आ रहा है। वर्तमान सर्वे मे रामदेनी बैठा वो राम चरितर बैठा लक्ष्मण बैठा पिता पदारथ बैठा के नाम से खाता खुला है शामदेव महतो पिता दाशा महतो के नाम से वर्तमान सर्वे में खाता नहीं खुला है।"

पुनः अंचल अधिकारी, केतार के द्वारा पत्रांक 108 दिनांक 17.03. 2023 से प्रतिवेदित किया गया है कि "ग्राम पाचाडुमर के खाता सं0 165 प्लॉट सं0 1706 रकबा 3.00 एकड़ भूमि गत सर्वे खितयान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है। जिसका मांग पंजी के पेज नं0 38 पर रामदेनी बैठा के नाम से चलता है। वर्तमान में हाल सर्वे में भी प्रश्नगत भूमि का खाता रामदेनी बैठा वगैरह के नाम पर अन्य खाता खेसरा के साथ कुल रकबा 23.85 डीसमील का मांग

Poet No. 2

लगातार

िस स		
दिवा की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2 रामटेनी बैठा वगैरह के नाम से 582/1 पर चलता है वर्तमान में अनु	मण्डल

रामदेनी बैठा वगैरह के नाम से 582/1 पर चलता है वर्तमान में अनुमण्डल पदाधिकारी के कार्यालय में धारा 145 चलने के कारण भूमि परती प्रथम पक्ष शामदेव महतो पिता दाशा महतो के नाम से प्रश्नगत भूमि का मांग विविध वाद सं0 127/2005-06 के आधार पर 113/5 पर चलता है। जिस मांग को अनुमण्डल पदाधिकारी नगर उंटारी के ज्ञापांक 38/रा0, दिनांक 19.02. 2013 के अनुसार रोक लगा दी गयी है।"

सीमांकन वाद सं0 27/2013—14 के अनुसार अंचल अधिकारी के द्वारा अभिलेखबद्ध किया गया है कि "ग्राम पाचाडुमर के खाता सं0 165 प्लॉट सं0 1706 रकबा 8.81 एकड़ भूमि गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है जिसका डिमांण्ड अन्य प्लॉट के साथ रकबा 11.81 एकड़ का रामधनी राम, रामचरित्र, लक्ष्मण बैठा पिता पदारथ बैठा के नाम से पेज नं0 30/1 पर चलता है परन्तु पंजी 2 में डिमाण्ड खुलने का आधार अंकित नहीं है।" तथा अंचल अमीन के द्वारा मापी प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि "ग्राम पाचाडुमर के खाता सं0 165 प्लॉट सं0 1706 रकबा 8.81 एकड़ भूमि का मांपी किया गया। प्लॉट नं0 1706 में रकबा 5.81 एकड़ भूमि पर आवेदक जमुना बैठा वगैरह तथा रकबा 3.00 एकड़ भूमि शामदेव महतो के दखल कब्जे में है।"

प्रत्यर्थीगण के द्वारा अपने दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न हीं अपील आवेदन पत्र का प्रत्युत्तर दाखिल किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा दाखिल लिखित अपील आवेदन पत्र अभिलेख में संलग्न राजस्व कागजात का गहन परिशीलन किया तथा पाया कि ग्राम पाचाडुमर के खाता सं0 165 प्लॉट सं0 1706 रकवा 8.81 एकड़ तथा अन्य प्लॉट की भूमि रकवा 3.00 एकड़ कुल रकवा 11.81 एकड़ भूमि की जमावंदी विपक्षी सीता राम बैठा वगैरह के पूर्वज रामधनी राम, रामचरित्र राम, लक्ष्मण बैठा पेशरान पदास्थ बैठा के नाम से मांगपंजी 2 के पेज न0 30/1 पर कायम है। प्लॉट सं0 1706 में रकवा 3.00 भूमि पर आवेदक शामदेव महतो के द्वारा अपील दाखिल किया गया है। अंचल अधिकारी के द्वारा सीमांकन वाद सं0 27/2013–14 में अभिलेखबद्ध किया गया है कि प्रश्नगत जमाबंदी के पेज नं0 30/1 पर का डिमाण्ड खुलने का आधार अंकित नहीं है। भूमि का मांपी प्रतिवेदन में प्लॉट नं0 1706 में रकवा 5.81 एकड़ भूमि पर जमुना बैठा वगैरह तथा रकवा 3.00 एकड़ भूमि शामदेव महतो के दखल कब्जे में है।" स्पष्ट है कि यह मामला एक ही भूमि का मांग दोहरी जमाबंदी/अवैध जमाबंदी से संबंधित है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

Tage No. 3

			3
की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	Sand of	\$
		3	
1	इसलिए इस विविध वाद में आदेश पारित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी चाहे तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। अतः उक्त तथ्य के आलोक में आवेदक के द्वारा दाखिल अपील आवेदन पत्र को अस्वीकृत किया जाता है। इस आशय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। मूम सुधार उपसम्पन्नता, श्री वंशीधर नगर। श्री वंशीधर नगर।		
	Page No. 4		